

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन शाखा)

-:अधिघोषणा:-

संख्या-...../डी.एल.ए.मधुबनी/2012...../भू-अर्जन दिनांक.....23-12-13

चूँकि अपर समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि गाँव - मेंहथ थाना नं.- 271 थाना - झंझारपुर, परगना- मउर, जिला-मधुबनी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राष्ट्रीय उच्च पथ सं०- 52 मेंहथ ढाला से नवटोली एन० एच० -57 स्थापनार्थ के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव - मेंहथ ढाला, मौजा - मेंहथ के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश रकबा- 3.482 एकड़ होता है। अर्जनाधीन भूमि की सूची निम्न प्रकार है - अंश खेसरा नं.- 2704, 2722, 2721, 2723, 2775, 2774, 2776, 2777, 2779, 2780, 2786, 2788, 2789, 2790, 2791, 2953, 2954, 2958, 2966, 2968, 3221, 3223, 3224, 3225, 3256, 3257, 3258, 3266, 3267, 3268, 3277 (पूर्ण), 3276, 3476, 3475, 3503, 3504, 3314

-:सीमा सूची:-

उत्तर:- खेसरा नं०- 2704, 2721, 2722, 2723, 2775, 2774, 2776, 2777, 2779, 2780, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2954, 2953, 2955, 2958, 2966, 2967, 2968

दक्षिण:- खेसरा नं०- 3221, 3222, 3223, 3224, 3226, 3225, 3256, 3257, 3258, 3266, 3267, 3268, 3276, 3278, 3314, 3476, 3475, 3474, 3477, 3478, 3479, 3481, 3482, 3502, 3503, 3504

पूरब :- एन० एच० -57

पच्छिम :- बाँध

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिज की खानों की आव०यकता नहीं है किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा(6) और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड(1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राजपत्र के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
मधुबनी

अपर समाहर्ता,
मधुबनी

समाहर्ता,
मधुबनी

सरकार के सचिव,
पटना

ज्ञापांक-3003/रा० भू-अर्जन, पटना, दिनांक-23-12-13

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सिडी सहित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानिय भाषा में हो एवं कतरण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को 5 प्रति प्रकाशित गजट की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, मधुबनी/ अपर समाहर्ता, मधुबनी/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पटना